न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक/कोर्ट/2025/892 दिनांक : 15/07/2025

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषयः—प्रकरण संख्या 93/2024 बउनवानी रतनलाल बनाम कमला वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 93/2024 बउनवानी रतनलाल बनाम कमला वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025
2. नक्शा ट्रेस

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

Report.

ACM आमेर (ग्रा.) जयपुर

फर्द अहकाम

रतनलाल बनाम कमला

न्यायालय

मुकदमा संख्या 93/24 अर्ज

आदेश संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	4/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है आ.ता. पेशी पर बहस करे। पत्रावली दिनांक 10/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	10/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहसीलदार 892 15/07/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 93 / 2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

—वादी

बनाम

1. कमला देवी रामचन्द्र की पुत्री
2. प्रभाती देवी पत्नी रामचन्द्र
3. गंजू देवी पुत्री रामचन्द्र
4. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
5. रामनिवास शर्मा पुत्र झुंथाराम
6. लक्ष्मी देवी पुत्री रामचन्द्र
7. लादूराम पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 10.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खाता सख्या नया 229 पुराना 214 के खसरा नम्बर 482 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल 4 कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा 2/21 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है। तथा शेष हिस्सानुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीग्रण का दर्ज अंकित है तथा इस प्रकार ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खाता सख्या नया 230 पुराना 215 के खसरा [illegible] रकबा 1.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल 2 कुल रकबा 1.[illegible] हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा 1/21 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है। तथा शेष हिस्सानुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण का दर्ज अंकित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

अदा करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित [illegible] भूमि को एतद्पश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक तकासमा नहीं हुआ है इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें परन्तु अब चूँकि कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से वादी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एंव विशिष्ठ भू–भाग पर विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को दिनांक 12–10–2024 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को, विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने एंव वादी को विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 कानून को ताक में रखकर कानून को हाथ में लिया है। चूँकि प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरीके से वादी को खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये वादी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर वादी विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

विभाजन की डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित भूमि का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में निहित वादी के हिस्से को पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक से किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार आमेर जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (वोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित खाता सख्या नया 229 पुराना 214 के खसरा नम्बर 482 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकवा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 485 रकवा 0.1700 हैक्टेयर, कुल 4 कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /2208 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. रतनलाल पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 482/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रामनिवास शर्मा पुत्र झूंथाराम शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 465 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 525 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. कमला देवी, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी [illegible] जाति बागडा ब्राहम्ण ब. हि. बराबर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 482 रकबा 0.[illegible]50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483/2 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.[illegible]0 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/2, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 483/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 93/2024
बउनवानी – रतनलाल बनाम कमला वगै0
निर्णय दिनांक :–10.07.2025

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

ठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी

आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 93/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी

बनाम

1. कमला देवी रामचन्द्र की पुत्री
2. प्रभाती देवी पत्नी रामचन्द्र
3. मंजू देवी पुत्री रामचन्द्र
4. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
5. रामनिवास शर्मा पुत्र झुंथाराम
6. लक्ष्मी देवी पुत्री रामचन्द्र
7. लादूराम पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. रतनलाल पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 482/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रामनिवास शर्मा पुत्र झूंथाराम शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 465 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 525 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. कमला देवी, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी पुत्रियान रामचंद्र जाति बागडा ब्राहम्ण ब. हि. बराबर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 482 रकबा 0.3650 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483/2 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/2, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 483/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा

प्रकरण संख्या – 93 / 2024
बउनवानी – रतनलाल बनाम कमला वगै0
निर्णय दिनांक :–10.07.2025

उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.07.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर रामपुरा डाबडी के वाद संख्या 93/2024 अनवान रतन लाल बनाम कमला में निर्णय [illegible] डिक्री दिनांक 27/3/25 की पालना में ग्राम पूनासा के आराजी ख.न. 482, 483, 484, 485, 465, 525 कुल किता 06 कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 28/5/25 की पालना में आज दिनांक 9/6/25 को बहमराह उपतहसीलदार जालसू / मुण्डोता भू.अ.नि. हल्का जयसिंहपुरा पटवार हल्का पूनासा के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई।

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि

क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	(1) कमला पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 2/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साकिन देह खातेदार (2) प्रभाती देवी पत्नि रामचन्द्र हि० 2/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साकिन देह खातेदार (3) मन्जूदेवी पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 2/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (4) रतनलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 2/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (5) राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 2/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (6) रामनिवास शर्मा पुत्र झुंथाराम शर्मा हिस्सा 1/3 जाति	482 483 484 485	0.58 0.34 0.20 0.17	चाही 2 0.54 जाब 1 0.04 बारानी 2 चाही 2 बारानी 2	28.00

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	482/1	0.2150	चाही 2 0.1750 जाब 1 0.04	
	कुल खसरा	01	0.2150		
2.	रामनिवास शर्मा पुत्र झुंथाराम शर्मा जाति बागड़ा ब्राह्मण साकिन देह खातेदार	465 [illegible]	1.0[illegible] [illegible]	बारानी 2 [illegible]	
	कुल खसरा	[illegible]	1.3[illegible]		
3.	कमला देवी, मंजूदेवी, लक्ष्मीदेवी पुत्रियान रामचन्द्र जाति बागड़ा ब्राह्मण ब० हि० बराबर सा० देह खातेदार	482/2 483/2	[illegible] [illegible]	चाही 2 बारानी 2	
	कुल खसरा	02	0.6450		
4.	लादूराम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/2 राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हि० 1/2 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	483/1 484 485	0.0600 0.2000 0.1700	बारानी 2 चाही 2 बारानी 2	
	कुल खसरा	03	0.4300		

[signature] 09-6-2025

[signature] 9-6-2025

[signature] 09/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह. - जालसू

[signature] 09/6/25
पटवारी हल्का
तहसील जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

वाद सं० 93/2024

क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि: जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि: प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
	बागड़ा ब्राह्मण साण्डेद खातेदार (7) लक्ष्मी देवी पुत्री रामचन्द्र हि० 4/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साण्डेद खातेदार (8) लादूराम पुत्र रामचन्द्र हि० 4/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साण्डेद खातेदार										
	कुल खसरा	04	1.29		28.00						
	(1) कमला देवी पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साण्डेद खातेदार	465	1.06	बारानी2	12.34						
		525	0.25	चारी2							
	(2) प्रभाती देवी पत्नि रामचन्द्र हि० 1/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साण्डेद खातेदार (3) मन्जूदेवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/21 जाति बागड़ा ब्राह्मण साण्डेद खातेदार										

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

09/6/2025

9-6-2025

09/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.–जालसू

09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)

वाद सं० 93/2024

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि						कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
	(4) रतनलाल पुत्र रामचन्द्र हि० 1/21 जाति बागरा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (5) राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/21 जाति बागरा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (6) रामनिवास शर्मा पुत्र सुधार प्रकाश हि० 4/3 जाति बागरा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (7) लक्ष्मीदेवी पुत्री रामचन्द्र हि० 1/21 जाति बागरा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (8) लादूराम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/21 जाति बागरा ब्राह्मण सा० देह खातेदार						नोट :- खातेदार प्रभाती देवी पत्नि रामचन्द्र जाति बागरा ब्राह्मण के फौत (मृत्यु) होने पर खातेदार के हिस्से की भूमि को वारिसान क्रमश: लादूराम, राजेन्द्र, रतनलाल, पुत्रान रामचन्द्र व कमला देवी, [illegible] देवी पुत्रियान रामचन्द्र को बराबर-बराबर हिस्से [illegible] जाते है।				
	कुल खसरा	02			1.31						

रामप्रसाद, पटवारी
09-6-2025

9-6-2025

09/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.-आमेर

09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested

RAA/745/25/12900/ 01.07.2025

नकल नक्शा ट्रैस
ग्राम- पुनाना
प०म०- पुनाना
तहसील- जालसू (जयपुर)
पैमाना- 1cm=40m.

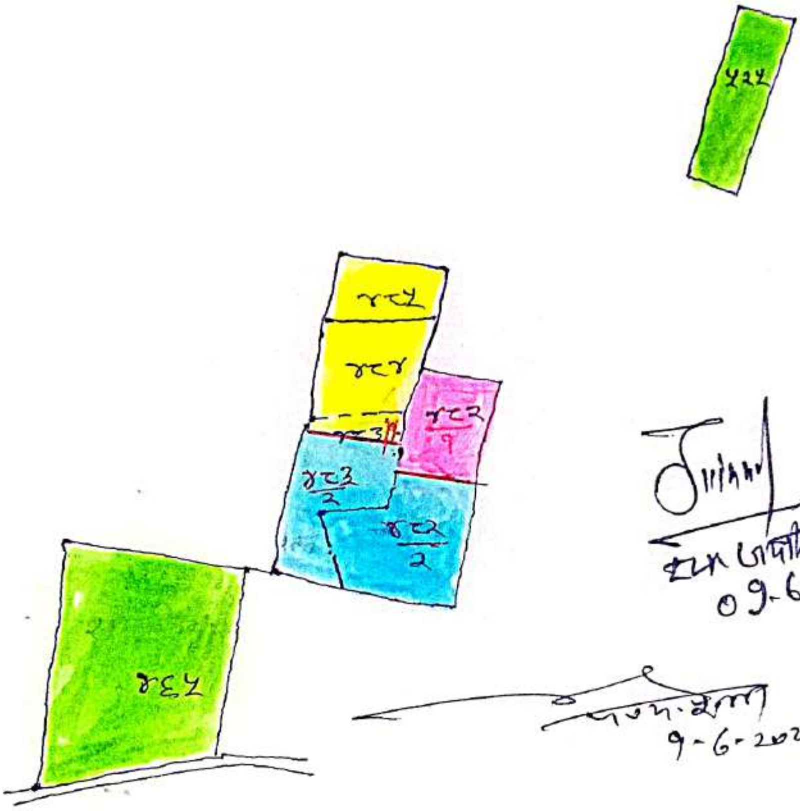

09-6-2025

9-6-2025

- रामनिवास पुत्र सुखाराम
- कमला देवी, मंजू देवी, सावली देवी पुत्रियाँ रामचन्द
- रतनलाल पुत्र रामचन्द
- लादूराम, राजेन्द्र पुत्र रामचन्द

09/6/25

तहसीलदार
तहसील जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:18 IST
Reason: SelfAttested